संसदीय कार्य मंत्रालय

प्रेस विज्ञप्ति

<u>17 मई, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पेंशन अदालत</u>

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देशानुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत बुधवार, 17 मई, 2023 को आयोजित की जाएगी। इसलिए, संसदीय कार्य मंत्रालय भी केवल **संसदीय कार्य मंत्रालय के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स** के लिए 17 मई, 2023 पूर्वाह्न 11.00 बजे से उप सचिव (लेखा और क्रय), संसदीय कार्य मंत्रालय, 92, संसद भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रहा है। इस मंत्रालय के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों, यदि कोई हों, के समाधान के लिए पेंशन अदालत में भाग ले सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख नीचे किया गया है।

पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी शिकायतें अग्रिम रूप में rahul.agrawal@gov.in या dhirendra.choubey@nic.in पर ई-मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया टेलीफोन नंबर 011-23034746/4755 पर या ऊपर उल्लिखित ई-मेल आईडी पर संपर्क करें।

पेंशनर्स को अपना नाम, पदनाम (जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे), पीपीओ नंबर, बैंक का विवरण, सेवानिवृत्ति की तारीख और टेलीफोन नंबर सहित अपना पता सूचित करना चाहिए। पीपीओ और पीपीओ शुद्धिपत्र (यदि उपलब्ध हो)/अपडेटिड बैंक पास बुक के अंतिम दो पृष्ठों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक उचित समय पर प्रकाशित किया जाएगा।